

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारसीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./41/2023

1. रामप्रसाद पुत्र सुवा जाति रेगर निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. सांवरलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. रामकुंवार पुत्र धूकल जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
3. हनुमान पुत्र श्री किशन जाति दरोगा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-12.07.2024

1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 256 में दर्ज खसरा नं. 2285/1038 रकबा 0.48 और खसरा नं. 2286/1044 रकबा 0.09 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.57 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम अमरगढ़ के खाता संख्या 256 संवत् 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

14
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपखण्ड दरशाहेजी के अक्सोकरन तथा बहस पत्रावली के मन्तव्य उपखण्ड
शर्तों का धारणा पत्र अस्तित्व धारा 128 भू-शासन अधिनियम का स्वीकार गीम होने से
स्वीकार किया जाकर भौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाडा के खाता
नं0 2285/1038 रकबा 0.48 और खाता नं0 2286/1044 रकबा 0.09
कुल कितना 02 कुल रकबा 0.57 हेक्टर हेतु न्यायक तहरीलदार बान्दनवाडा को 500/- रु(पांच
सौ रु) की भौका कमीशनर फीस पर भौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है
कि सभी यहाँसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की
बतलावली की कार्यवाही कर, जालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फौसल शुमार दर्ज होकर
नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में
सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)